*शोध मंथन, 2017 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)*
***UGC Aproved Journal No. 40908***

# घरेलू हिंसा के नारीवादी सिद्धान्त का भारतीय संदर्भ में अनुभवजन्य समालोचनात्मक विश्लेषण

**डॉ0 जय शंकर प्रसाद पाण्डेय**
*एसो0 प्रोफे0, एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभग, डी0ए0वी0 कॉलेज कानुपर, (उ0प्र0)*

***सारांश***

*महिलाओं क विरूद्ध हिंसा सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक आर्थिक रूप से सार्वभौम प्रघटना है जो पितृ सत्तात्मक समाज का किसी न किसी रूप में परिणाम है। जहाँ भारतीय समाज में नारी की पूजा एवं सम्मान का चिन्तन पाया जाता है। वहाँ यह विरोधाभास आनुभाविक रूप से परिलक्षित हो रहा है कि नारी के प्रति सामने का व्यवहार (Front Stage Role) और पीछे का व्यवहार (Back Stage Role) में बड़ा अन्तर विरोधाभास के रूप में सामने आता है इस घरेलू हिंसा का विश्लेषण के लिए अनेक सिद्धान्त की रचित किये गयें जिसमें मुख्य रूप से नारीवादी सिद्धान्त (Feminist Theory) है जो कि नारीवाद को सैद्धान्तिक स्वरूप पहनाता है जो भ्रामक और दार्शनिक विमर्श का विस्तार है और इसका उद्देश्य लैंगिक असमानता को समझना है तथा उसी दृष्टिकोण से से घरेलू हिंसा का प्रतिरूपण करना है।*

*प्रस्तुत शोध पत्र इस सिद्धान्त को अपने आनुभाविक अध्ययन के माध्यम से समझने का प्रयास तथा लैंगिक असमानता का दृष्टिकोण का सत्यापन व परीक्षण करने का प्रयास है उसकी समालोचनात्मक व्याख्या के साथ।*

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:
**डॉ0 जय शंकर प्रसाद पाण्डेय,** "*घरेलू हिंसा के नारीवादी सिद्धान्त का भारतीय संदर्भ में अनुभवजन्य समालोचनात्मक विश्लेषण*",
शोध मंथन, जून 2017,
Voll. 8, No. 2
पेज सं0 189–195
http://anubooks.com/?page_id=2030
Artcile No.31(SM438)

## प्रस्तावना

## नारीवादी सिद्धान्त–

**एक परिचय–** नारी वादी सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य का उदय 1970 के दशक में महिला आन्दोलनों के शिखर के दौरान हुआ इस सिद्धान्त के समर्थकों ने तर्क दिया कि ''घरेलू हिंसा पुरूषों के द्वारा महिला का उत्पीड़न है'' घरेलू हिंसा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का एक स्वरूप है परन्तु दूसरा स्वरूप– बलात्कार, यौन उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, वैवाहिक बलात्कार और और महिला खतना है (Kurz, 1989) इन सभी प्रकार के महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का सामान्य तत्व लिंग और शक्ति है। इस सिद्धान्त के प्रमुख व्याख्याताओं का विचार है कि सभी प्रकार के हिंसा असमान शक्ति सम्बन्धों का प्रतिबिम्ब है। घरेलू हिंसा समाज में पुरूष एवं महिलाओं के असामनता को प्रतिविम्बित करता है और उनके बीच व्यैक्तिक सम्बन्धों को भी (Sharma, 1997) नारीवादी सिद्धान्तवेत्ता निम्न प्रकार के शब्दावली को कभी उपयोग नहीं करते हैं– जैसे ''पारिवारिक हिंसा'', ''पति दुरूपयोग'', ''वैवाहिक हिंसा'', ''दाम्पत्य हिंसा'', क्योंकि उनका विश्वास है कि ये शब्द पति उत्पीड़न को प्रकट नहीं करते हैं तथा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को सहज रूप से संकेत नहीं करते है वे अन्य शब्दों को उपयोग करते है जैसे ''पत्नी को पीटना'', ''घरेलू हिंसा'', ''त्रस्त महिलाएँ'', ''औरत दुरूपयोग'' क्योंकि ये शब्द घरेलू हिंसा के प्रघटना को बिल्कुल सटीक ढंग से चित्रित करते है (Davis & Hagen, 1992) इस प्रकार से पारिभाषित करने एवं सम्बोध उपयोग करने से घरेलू हिंसा यह संकेत करता है कि महिला अथवा पत्नी ही स्पष्ट रूप से हिंसा का शिकार है और शोध, नीति निर्माण व हस्तक्षेप पर इस संदर्भ में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है नारीवाद सिद्धान्त के समर्थक यह जोर देते हैं कि घरेलू हिंसा सम्बन्धित हेतु विज्ञान समाज में पितृसत्तात्मक संरचना में निहित है जिसमें पुरूष अधिकतम सामाजिक संस्थाओं में प्रभावी भूमिका निभाते हैं पुरूष प्रभावी संरचनाएं–आर्थिक संरचना, संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, लिंग पर आधारित श्रम विभाजन और पारम्परिक लैंगिक भूमिका अपेक्षाओं को प्रदर्शित करता है। (Scheeter, 1982)

मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक गाली के साथ–साथ हिंसा का अभिप्राय है कि परिवार में पुरूषों का प्रभावी स्थान बने रहना जब पुरूषों को यह महसूस होता है कि उनके प्रभावी स्थान को चुनौती मिल रही है तो पुरूष हिंसा का उपयोग करने हेतु तत्पर हो जाते हैं। आर्थिक भूमिकाओं में महिलाओं को पुरूष अपने अधीन रहने को प्रायः विवश करते है जिससे वे गाली–गलौज स्थिति में से निकल नहीं पाती हैं (Johnson, 1992) पुरूषों की शारीरिक मजबूती महिलाओं के विरूद्ध हिंसा कर अपनी प्रभावी बनाने में सहायक की भूमिका निभाती है। नारीवादी तर्क देते है कि यह सामाजिक व्यवस्था है कि पुरूष प्रतिष्ठा और सम्मान को किसी न किसी प्रकार अपने पास बनाये रखते है तथा महिलाओं को अवमूल्यन करते रहते है जिससे यह यथार्थ सत्यापित कर सके कि पुरूष ही सामाजिक व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। पीटने वाला, महिलाओं को बालक के समान और असक्षम मानता है, दूसरे शब्दों में, न्यूनता और श्रेष्ठता का समाज में संस्तरण भी पाया जाता है जिनमें पुरूषों को अधिक श्रेष्ठ तथा महिलाओं को न्यून

रूपी लिंग में संस्तरित किया जाता है। (Griscom, 1992) **पॉल** अपने अध्ययन में पाते है कि विवाह शक्ति के प्रयोग में द्रव्य एवं आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण तथा प्रबन्धन में के बीच निकटतम सम्बन्ध है पत्नियों के पास सामान्य रूप से अधिकतम निर्णय निर्माण की शक्ति होती है यदि उन्हे वैतनिक रोजगार दिया जाये, **कालमस और स्ट्रास** का शोध यह दर्शाता है कि आर्थिक अधीनता महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का प्रमुख कारण है जितनी ही अधिक निर्भरता होती है उतना ही अधिक आक्रमण का जोखिम होता है।

होमर, लीओनार्ड और टायलर ने भी हिंसक सम्बन्धों में रूपयों व आर्थिक संसाधनों के नियंत्रण और प्रबन्धन का अध्ययन किया तथा निष्कर्ष निकाले कि पैसे के शक्ति का प्रयोग और पुरूषों के शक्ति के बीच सामस्यतः टकराहट होती रहती है।

नारीवादी के विचारों के अनुसार पीटने वाले पुरूष यह महसूस करते है कि परिवार का मुखिया वे ही बने रहे, निर्णय–निर्माण में उनकी प्रधानता बनी रहे, नियम थोपते रहें, अवज्ञाकारी पत्नी और संतान को अनुशासित करते रहें, हिंसा के बहाने अपने कर्तव्यों के निष्पादन की कमी को छिपाते रहें (Brown et al., 1996) पीटने वाले पुरूष सामान्यतः अहिंसात्मक रहते हुए भी उत्पीड़न करते रहते है कभी–कभी ही हिंसा का प्रयोग करते हैं। पुरूष के रूप में, पीटने वाले लिंग आधारित सम्मान और आज्ञा पालन के हकदार स्वयं को मानते हैं। सम्मान में कमी और अवज्ञा से वे क्रोधित हाते हैं तथा उस स्थिति में हिंसा को विवेकपूर्ण ढंग से न्यायोचित सत्यापित करते हैं यह समझाने का प्रयास करते हैं कि पत्नी अथवा महिला के विरूद्ध जो भी हिंसा होती है उसका कारण वे स्वयं हैं।

## शोध प्रविधि–

प्रस्तुत शोध पत्र वृहद् शोध परियोजना पर आधारित है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समर्थित है। यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक अभिकल्प पर निर्भर है यह अध्ययन मुख्यतः प्राथमिक तथ्य, सर्वे के आधार पर संकलित किया गया है, आधारित है यह परियोजना देश के चार राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में संचालित किया गया तथा प्रत्येक राज्यों से 5 जिलों को प्रतिचयन के रूप में लिया गया, यादृच्छिक प्रतिचयन के रूप में 2975 शिकारग्रस्त महिलाओं का अध्ययन किया गया। यह प्रतिचयन समाज के उच्च वर्ग, मध्य वर्ग व निम्न वर्ग से लिया गया इसी क्रम साक्षात्कार अनुसूची बनाकर सर्वेक्षण केमाध यम से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के पृष्ठिभूमि घरेलू हिंसा के उत्प्रेरकों, शिक्षा के स्तर का घरेलू हिंसा के स्वरूप व प्रकृति आदि का अध्ययन किया गया उसके बाद प्राप्त तथ्यों का सारणीयन किया गया जो सारिणी नं0 (1) और सारिणी नं0 (2) के माध्यम से दर्शाया गया तथा उनकी व्याख्या आवश्यक बिन्दुओं को लेकर की गयी। सारणीयन करने में कम्प्यूटर व आधुनिकी प्रौद्योगिकी का उपयेाग किया गया तथा प्राप्त निष्कर्षो के माध्यम से नारीवादी सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्यों का परीक्षण किया गया है।

**सारिणी–1:**

**Instigators of Violence**

| Instigators | Bihar | Madhya Pradesh | Rajasthan | Uttar Pradesh | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mother-in-law | 648 | 631 | 495 | 670 | 2444 |
| (%) | 85.26 | 88.87 | 69.23 | 84.81 | 82.15 |
| Father-in-law | 597 | 379 | 279 | 549 | 1804 |
| (%) | 78.55 | 53.38 | 39.02 | 69.49 | 60.64 |
| Husband | 495 | 589 | 349 | 279 | 1712 |
| (%) | 65.13 | 82.96 | 48.81 | 35.32 | 57.55 |
| Sister-in-law | 649 | 550 | 246 | 413 | 1858 |
| (%) | 85.39 | 77.46 | 34.41 | 52.28 | 62.45 |
| Brother-in-law | 375 | 349 | 219 | 349 | 1292 |
| (%) | 49.34 | 49.15 | 30.63 | 44.18 | 43.43 |
| Relatives of husband | 210 | 198 | 168 | 246 | 822 |
| (%) | 27.63 | 27.89 | 23.50 | 31.14 | 27.63 |
| Not applicable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **760** | **710** | **715** | **790** | **2975** |

**Source: Field Survey.**

**परिणामों की व्याख्या–**

सारणी नं0 1 यह स्पष्ट करता है कि घरेलू हिंसा की प्रमुख उत्प्रेरक (Instigator) सासु हैं बिहार में 85.26% मध्य प्रदेश में 88.87% राजस्थान में 69.23% तथा उत्तर प्रदेश में 84.81% यह दर्शाता है कि घरेलू हिंसा में पुरूष नहीं बल्कि महिला ही महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा में प्रभावी भूमिका निष्पादित कर रही है वह ननद भी हिंसा करवाने में कम नहीं है वे उत्प्रेरक की कार्यकर रही है। यह तथ्य चौकाने वाला है कि राजस्थान जैसे पितष्सत्तात्मक प्रभावी वाले राज्य में ससुर हिंसा के जिम्मेदार केवल 39.02% हैं वही सासु 69.23% ननद की भूमिका हिंसा प्रेरक में बिहार में 85.39% है जो यह सत्यापित करता है कि महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा में लिंग असमानता दोषी नहीं बल्कि अपना प्रभाव और स्थान बनाये रखने के लिए महिलाएँ सासु, ननद की प्रस्थिति में अपनी सम्मान, प्रतिष्ठा एवं शक्ति संतुलन स्थापित करने में लगी रहती है। सारणी (1) यह दर्शाता है कि नारीवादी सिद्धान्त का यह निष्कर्ष कि हिंसा पुरूष

को अपना प्रभावी स्थान बनाये रखने का हथियार हैं भ्रामक है एवं तथ्यहीन है। क्योंकि सासु की तुलना में ससुर की हिसात्मक भूमिका न्यून है।

**सारणी–2**

**Education-wise Experience of Violence**

| Experience of Violence | Illiterate | Primary School | Middle School | High School | Intermediate | Graduate | Post Graduate | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beating | 389 | 413 | 380 | 285 | 167 | 94 | 25 | 0 | 1753 |
| (%) | 62.04 | 48.93 | 69.72 | 84.57 | 50.15 | 44.13 | 34.25 | 0.00 | 58.92 |
| Torturing | 539 | 622 | 398 | 253 | 248 | 93 | 20 | 2 | 2175 |
| (%) | 85.96 | 73.70 | 73.03 | 75.07 | 74.47 | 43.66 | 27.40 | 66.67 | 73.11 |
| Scolding | 384 | 576 | 435 | 273 | 176 | 78 | 17 | | 1939 |
| (%) | 61.24 | 68.25 | 79.82 | 81.01 | 52.85 | 36.62 | 23.29 | 0.00 | 65.18 |
| Insulting repeatedly | 497 | 664 | 395 | 240 | 217 | 6 | 2 | | 2021 |
| (%) | 79.27 | 78.67 | 72.48 | 71.22 | 65.17 | 2.82 | 2.74 | 0.00 | 67.93 |
| Sexual abuse | 594 | 660 | 319 | 143 | 88 | 21 | 5 | 1 | 1831 |
| (%) | 94.74 | 78.20 | 58.53 | 42.43 | 26.43 | 9.86 | 6.85 | 33.33 | 61.55 |
| Suspecting character | 595 | 594 | 346 | 296 | 246 | 70 | 32 | | 2179 |
| (%) | 94.90 | 70.38 | 63.49 | 87.83 | 73.87 | 32.86 | 43.84 | 0.00 | 73.24 |
| Repeated quarrels | 495 | 629 | 467 | 214 | 197 | 92 | 42 | 2 | 2138 |
| (%) | 78.95 | 74.53 | 85.69 | 63.50 | 59.16 | 43.19 | 57.53 | 66.67 | 71.87 |
| Mental harassment | 497 | 689 | 379 | 265 | 292 | 65 | 25 | 3 | 2215 |
| (%) | 79.27 | 81.64 | 69.54 | 78.64 | 87.69 | 30.52 | 34.25 | 100.00 | 74.45 |
| Rude behavior | 448 | 653 | 465 | 294 | 276 | 176 | 61 | 2 | 2375 |
| (%) | 71.45 | 77.37 | 85.32 | 87.24 | 82.88 | 82.63 | 83.56 | 66.67 | 79.83 |
| Any others | 194 | 153 | 86 | 101 | 66 | 87 | 25 | 2 | 714 |
| (%) | 30.94 | 18.13 | 15.78 | 29.97 | 19.82 | 40.85 | 34.25 | 66.67 | 24.00 |
| **Total** | **627** | **844** | **545** | **337** | **333** | **213** | **73** | **3** | 2975 |

**Source: Field Survey.**

**शिक्षा आधारित घरेलू हिंसा का अनुभव–**

घरेलू हिंसा शिक्षा के स्तर से भी प्रभावित होता है सारणी (2) यह दर्शाता है कि अशिक्षित महिलाएँ अधिक पिटती है, थप्पड़ खाती है, उत्पीडित होती है, लैंगिक अपराध का शिकार होती है, चरित्र संदेह में जीवन जीती है 94.90% मानसिक उत्पीड़न 79.27% शिकार होती है। उनके साथ रूखा व्यवहार होता है 71%, वही स्नातक एवं परास्नातक महिलाएँ रूखे व्यवहार से उत्पीड़ित क्रमशः 82.63% एवं 83.56% के अतिरिक्त अन्य घरेलू हिंसा के स्वरूपों की शिकार बहुत कम होती है अर्थात शिक्षा का स्तर जैसे–जैसे बढ़ता जाता है महिलाओं के विरूद्ध शारीरिक हिंसा कम होती जाती है। नारीवादी सिद्धान्त शिक्षा के कारक को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दे सका है। शिक्षा का स्तर ही स्थितियों में सामंजस्य, व्यक्तियों के साथ सामन्जस्य, स्थितियों में व्यवस्थापन, व्यक्तियों के साथ व्यवस्थापन तथा अनुकूलन के प्रभावी भूमिका निभाता है जैसे–जैसे शिक्षा के स्तर में वृद्धि होती गयी वैसे–वैसे हिंसा के विभिन्न स्वरूपों का प्रभाव कम होता गया (सारिणी–2) शक्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, सत्ता प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है तथा वहीं उसके वर्ग और प्रतिष्ठा का निर्धारण करता है **(मैक्स बेवर)** शिक्षा वह साधन है जो उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्त करने में सहायक कारक की भूमिका निभाता है। यहाँ पर लिंग असमस्तता हिंसा का प्रमुख कारण न होकर शिक्षा का कम होना है।

**समालोचनात्मक विश्लेषण–**

कोई भी प्रघटना सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से स्थितिजन्य एवं सापेक्ष होती है। उसकी आवृत्ति, प्रकृति व स्वरूप में समाजिक दशा, आर्थिक, व शैक्षिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कम या अधिक होती है। यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू हिंसा केवल लिंग आधारित भेदभाव व असमानता का परिणाम हो बल्कि समान लिंग के सदस्य उसी लिंग के सदस्य पर अनेकानेक प्रकार से अत्याचार एवं हिंसा करने में प्रभावी भूमिका निभाते है (सारणी–2) उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा भड़काने में महिला (सासु व ननद) की प्रमुख भूमिका है यह तथ्य चौकाने वाला है कि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा भड़काने में तथा उत्पीड़न करने में महिला सम्बन्धियों का प्रकान्तर से मुख्य भूमिका है वे उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। इस प्रकार से नारीवादी सिद्धान्त का परिप्रेक्ष्य अपूर्ण है तथा भ्रामक है क्योंकि यह सम्पूर्णता ही नहीं बल्कि अनेक कारकों का प्रतिफल है कि महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा की आवृत्ति, तीव्रता, स्वरूप व प्रकृति का प्रमुख कारण शिक्षा है (सारणी–2) नारीवादी सिद्धान्तकारों को भारत में सामाजिक, व्यवस्था, समीकरणें व विशेषताओं को अपने व्याख्या में समावेश नहीं किया वे लिंग आधारित श्रेष्ठता अथवा न्यूनता तथा शक्ति का असमान वितरण केवल लिंग भेद मानते है इस आनुभवजन्य अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नारीवादी सिद्धान्त घरेलू हिंसा को समझने में असफल एवं अपूर्ण है।

## References:

• *Ghosh, B. and Choudhary, Tanima (2011), Legal Protection Against Domestic Singh, A.K. et.al. (Ed), (2009) Domestic Violence Against Women in India, Madhav Books, Gurgaon.*

• *Singh, A.K. et.al. (Ed.) (2013), Gender Violence in India, Rashtriya Bal Vikas Prakashan, New Delhi.*

• *Singh, A & Pandey, S.P., (2009) Domestic Violence Against Women and Role of PWDV Act, 2006 IN Domestic Violence Against Women in India, Edited by Singh, A.K., et.al. Madhav Books, Gurgaon. Violence in India: Scope and Limitations, Springer Science.*

• *Helse, L., et al. (1994), Violence Against Women, the Hidden Health Burden, World Bank, Washington.*

• *IIPS (2007), National Family Health Survey-Ill, International Institute of Population Sciences, Mumbai.*

• *Nagla, B.K., Women As Victims of Crime: A Sociological Analysis In C.M. Agrawal (Ed.) Dimensions of Indian Womanhood, Sri Almora Book, Almora, 1993.*

• *NCRB (2013), Crime in India, 2013, National Crime Records Bureau, Government of India, New Delhi.*

• *Nigam, Shalu, (2008) Domestic Violence in India: What One Should Know?, WE The People Trust, New Delhi.*

• *Omvedt, G., Violence Against Women - New Movements And New Theories In India, Kali For Women, New Delhi, 1990.*

• *Pandey, S.P., Children Of Women Prisoners In Jails: A Study in UP., G.B. Pant Institute of Studies, In Rural Development, Lucknow, 2004.*

• *Pandey J.S.P.(2015). Socio-Economic and Cultural Background of Victims of Domestic Violence. International Research & Review Journal, Vol. 4(2)112015 (April-June) (ISSN 23 19-3204), page 26-35.*

• *Pandey, J.S.P. (2013). Gender Violence in India : 15 days, An International Research refereed Journal, Volume 50, 30 August 2013 (ISSN 2249-650X), page no. 54-62.*

• *Pandey. Jai Shankar Prasad (Jan. 2015) Impact of Domestic Violence on spousal relations of women: A study in selected states in India : The Gunjan International Journal Volume 1, Issue 2 January 2015, ISSN. 2249-9779.*

• *Pandey J.S.P. (2015). Domestic Violence against Women Introduction and theories. Abhinav Gaveshana Quarterly International Journal Volume 1, Year 1, April 2015, ISSN 2394-4366, page no. 158-162.*

• *Pandey J.S.P. (2010). Domestic Violence against women: A Sociological Study (A Qualitative Research) Doctrine Journal, Dec. 2010, ISSN 0976-528X, page no. 7-14.*

• *Pandey, J.S.P. (2017). Crime Against Women in India: Its Dimensions. Shodh Prerak, (ISSN 2231-413X), Vol. VII, Issue 1, January 2017, Page 233-240.*

• *Pandey, J.S.P. (2017). Awareness Regarding Domestic Violence Act, 2005. Sodha Pravaha, (ISSN 2231-4113), Vol. VI, Issue 3, July, 2016, Page 300-305.*